International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)
Volume 6 Issue 6, September-October 2022 Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470

भारत में केन्द्र -राज्य सम्बन्ध: बनते बिगड़ते रिश्ते

Dr. Rajesh Kumar Chauhan

Associate Professor, Department of Political Science, Government College, Bundi, Rajasthan, India

सार

भारत राज्यों का एक संघ है। इसमें 28 राज्य और 8 केन्द्र शासित प्रदेश हैं। ये राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश पुनः जिलों और अन्य क्षेत्रों में बाँटे गये हैं।

भारतवर्ष अपने जीवन के उषःकाल से ही ज्ञान की साधना में रत रहा है। इसीलिए इसका नाम 'भा' अर्थात् प्रकाश= ज्ञान में रत 'भारत' पडा है। अपनी इसी महत्ता के कारण ही भारत ने सहस्राब्दियों तक न केवल विश्व का सांस्कृतिक नेतृत्व किया है अपितु ज्ञान-विज्ञान, कला-कौशल, अध्यात्म और व्यापार के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका का निर्वाह किया है। तक्षशिला, शारदा, नालन्दा, विक्रमशिला आदि विश्वविद्यालयों तथा ऋषि-मुनियों की तपस्या एवं ज्ञान-साधना से अभिषिक्त यह भूमि जगद्गुरु के रूप में विश्वविख्यात रही है। किन्तु दुर्भाग्यवश पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के प्रभाव में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भी भारतीय ज्ञान-परम्परा के महनीय योगदान तथा वैभव के प्रति हम विश्व तथा भारतीय युवापीढी को जागरुक करने में अपेक्षाकृत रूप से सफल नहीं हो पाए हैं। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिहार के कुलपति प्रो० सञ्जीव कुमार शर्मा द्वारा विश्वविद्यालय में भारत-विद्या केन्द्र की स्थापना की गई है। इस केन्द्र के समन्वयक के रूप में संस्कृत जगत् के उद्भट् युवा विद्वान् एवं विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष प्रो० प्रसूनदत्त सिंह को नियुक्त किया गया है।

How to cite this paper: Dr. Rajesh Kumar Chauhan "Center-State Relations in India: Deteriorating Relationships" Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN: 2456-6470, Volume-6 | Issue-6, October 2022, pp.1798-1803, URL: www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd52173.pdf

IJTSRD52173

Copyright © 2022 by author (s) and International Journal of Trend in Scientific Research and Development Journal. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

क्षेत्र एवं उद्देश्य

प्रो. प्रसून दत्त सिंह के निर्देशन में सञ्चालित भारत-विद्या केन्द्र के उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- वैश्विक ज्ञान-परम्परा में भारत-विद्या के महत्त्व को रेखांकित करते हुए उसका विश्वव्यापी प्रचार-प्रसार करना ।
- भारत विद्या के प्रति आधुनिक युवा पीढी को जागरूक करना तथा भारत के स्व के प्रति उनके स्वाभिमान को जगाना ।
- आधुनिक विज्ञान एवं भारतीय परम्परागत ज्ञान में सामञ्जस्य स्थापित करते हुए सतत विकास को ध्यान में रखते हुए मानवजनित समस्याओं के समाधान का प्रयास करना ।
- भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान-विज्ञान के संरक्षण के साथ- साथ उसको समसामयिक सन्दर्भों में संवर्धित करना ।
- भारतीय ज्ञान-परम्परा को आधार बनाकर अन्तर्विषयी शोध को बढावा देना ।
- भारतीय ज्ञान-परम्परा से सम्बन्धित (विशेष रूप से बिहारप्रान्त में उपलब्ध) पाण्डुलिपियों/हस्तलिपियों का संरक्षण करना ।
- वैदिक-ज्ञान, संस्कृत-साहित्य, दर्शन, भाषा, कला, शिक्षा, इतिहास, अर्थशास्त्र आदि महत्त्वपूर्ण ज्ञानानुशासनों के माध्यम से विश्व को भारत की देन से अवगत कराना।
- भारत-विद्या पर समकालीन अध्ययनों (भारतीय एवं पाश्चात्य) का अनुशीलन करना।
- भारत-विद्या से सम्बन्धित भारत एवं विश्व में हो रहे कार्यों का संकलन करना ।
- आधुनिक विज्ञान की प्रगति में भारत विद्या के स्रोतों की भूमिका का अध्ययन करना ।
- भारत विद्या से सम्बन्धित समस्त सामग्री का एकत्रीकरण एवं अपेक्षित प्रकाशन करना।

परिचय

शैक्षणिक एवं शोध गतिविधियाँ

भारत-विद्या केन्द्र द्वारा निम्नलिखित शैक्षणिक एवं शोध गतिविधियाँ संकल्पित हैं-

- संस्कृत साहित्य के संरक्षण-संवर्धन हेतु भारत विद्या केन्द्र एवं संस्कृत विभाग के संयुक्त तत्त्वावधान में अखिल भारतीय स्तर पर संस्कृत साहित्य, भाषा, कला, शिक्षा, वैदिक-ज्ञान, दर्शन, इतिहास आदि पर बृहद् संगोष्ठियों एवं छात्र-छात्राओं हेतु भारतविद्या से सम्बन्धित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा । प्रतियोगिता में विजित छात्रों हेतु पुरस्कार भी प्रदान किए जाएँगे।
- भारतविद्या से सम्बद्ध समस्त उपलब्ध सामग्री एवं कलाओं की चित्रप्रदर्शनी की व्यवस्था की जाएगी जैसे- परम्परागत विद्या के केन्द्र, ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल, चित्रकला, शिल्पकला आदि।
- भारत-विद्या से सम्बन्धित पाठ्य-सामग्री के बृहत् संकलन हेतु 'भारत-विद्या पुस्तकालय' की स्थापना की जाएगी ।[1,2]

- कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों के आयोजन के माध्यम से दार्शनिक/आध्यात्मिक सृजनशीलता पर भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टि से तुलनात्मक परिचर्चा तथा शोध की सम्भावनाओं का प्रयास किया जाएगा ।
- 'भारत-दर्शन' नाम से एक षाण्मासिक शोध-पत्रिका का प्रकाशन किया जाएगा ।
- भारत विद्या के प्रति आधुनिक पीढी को जागरूक करने हेतु विश्वविद्यालय के चयनित छात्र-छात्राओं को भारत विद्या से सम्बन्धित केन्द्रों का भारत-दर्शन नाम से वार्षिक शैक्षिक भ्रमण कराने की व्यवस्था की जाएगी।
- भारतीय विद्या अध्ययन नाम से एक 'षाण्मासिक प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम (Six months certificate course)' की व्यवस्था की जाएगी।
- प्रस्तावित पाठ्यक्रम वेद, उपनिषद, दर्शन, कलाओं, प्राचीन इतिहास तथा संस्कृति पर आधारित होगा।[3,4]

केन्द्र द्वारा प्रस्तावित एकवर्षीय कार्ययोजना

भारत-विद्या केन्द्र द्वारा संकल्पित उद्देश्यों की पूर्त्ति एवं केन्द्र के सम्यक् संचालनार्थ निम्नलिखित एकवर्षीय कार्ययोजना प्रस्तुत है -

- केन्द्र की गतिविधियों के सम्यक् संचालनार्थ एक 'परामर्शदात्री समिति' के गठन किया जाएगा ।
- अखिल भारतीय स्तर पर 'कालिदास महोत्सव' का आयोजन किया जाएगा ।
- भारतीय ज्ञान-परम्परा के संरक्षणार्थ केन्द्र द्वारा एक 'चित्रवीथिका-प्रदर्शनी' की व्यवस्था की जाएगी।
- भारतीय ज्ञान परम्परा से सम्बन्धित सप्तदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा ।
- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा।
- आयुर्वेद एवं योग शिविर का आयोजन किया जाएगा।
- आरम्भिक रूप से एक लघु पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी ।[5,6]
- भारतीय विद्या अध्ययन नाम से एक 'षाण्मासिक प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम (Six months certificate course)' हेतु सप्ताह में दो दिन 4:00 से 6:00 बजे तक विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा।
- भारत-दर्शन के नाम से विश्वविद्यालय के छात्रों को भारतीय ज्ञान-परम्परा से सम्बन्धित किसी ऐतिहासिक स्थल का शैक्षिक-भ्रमण कराया जाएगा ।[7,8]

विचार-विमर्श

साइबर स्वच्छता केन्द्र (बॉटनेट शोधन और मालवेयर विश्लेषण केन्द्र), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम.ई.आई.टी.वाई) के तहत भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल का एक हिस्सा है | जिसका लक्ष्य, भारत में बॉटनेट संक्रमणों का पता लगाकर एक सुरक्षित साइबर क्षेत्र बनाना तथा अंतिम प्रयोक्ताओं को सूचित करना, बॉटशोधनऔर सुरक्षा प्रणालियों को सक्षम करना, ताकि आगे संक्रमण से बचा जा सके। साइबर स्वच्छता केन्द्र (बॉटनेट शोधन और मालवेयर विश्लेषण केन्द्र) "राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति" के उद्देश्यों के अनुसार स्थापित किया गया है, जो देश में एक सुरक्षित साइबर पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की परिकल्पना करता है। यह केन्द्र इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और उत्पाद/ कंपनियों / एंटीवायरस के साथ समन्वय और सहयोग से संचालित होता है । यह वेबसाइट उपयोगकर्ताओं / नागरिकों को उनके कंप्यूटर / उपकरणों को सुरक्षित करने के लिए सूचना और उपकरण प्रदान करती है। इस केन्द्र का संचालन भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सर्ट-इन) द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70 ख के प्रावधानों के तहत किया जा रहा है।[9,10]

भारत एक संघ है, जो २८ राज्यों एवं 8 केन्द्र शासित प्रदेशों से बना है, यहां की २००८ की अनुमानित जनसंख्या 1 अरब 13 करोड़ के साथ भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनाकीर्ण देश बन गया है। इससे पहले इस सूची में बस [चीन] ही आता है। भारत में विश्व की कुल भूमि का २.४% भाग ही आता है। किंतु इस २.४% भूमि में विश्व की जनसंख्या का १६.९% भाग रहता है।भारत के गांगेय-जमुनी मैदानी क्षेत्रों में विश्व का सबसे बड़ा ऐल्यूवियम बहुल उपत्यका क्षेत्र आता है। यही क्षेत्र विश्व के सबसे घने आवासित क्षेत्रों में से एक है। यहां के दक्खिन पठार के पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्र भी भारत के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में आते हैं। पश्चिमी राजस्थान में थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है। हिमालय के साथ साथ उत्तरी और पूर्वोत्तरी राज्यों में शीत-शुष्क मरुस्थल हैं, जिनके साथ उपत्यका घाटियां हैं। इन राज्यों में अदम्य आवासीय स्थितियों के कारण अपेक्षाकृत कम घनत्व है।[11]

28 राज्यों की पूरी सूची:

क्र. सं.	राज्य	राजधानी	मुख्यमंत्री	राज्यपाल
1	आंध्रप्रदेश	अमरावती	वाई.एस.जगन मोहन रेड्डी	बिस्वा भूषण हरिचंदन
2	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	पेमा खांडू	बी.डी.मिश्रा
3	असम	दिसपुर	हेमंत विश्व शर्मा	जगदीश मुखी
4	बिहार	पटना	नीतीश कुमार	फागू चौहान
5	छत्तीसगढ़	रायपुर	भूपेश बघेल	सुश्री अनुसुइया उइके
6	गोवा	पणजी	प्रमोद सावंत	सत्यपाल मलिक
7	गुजरात	गांधी नगर	भूपेंद्रभाई पटेल	आचार्य देव व्रत
8	हरियाणा	चण्डीगढ़	मनोहर लाल खट्टर	सत्यदेव नारायण आर्या
9	हिमाचल प्रदेश	शिमला	जयराम ठाकुर	बंडारू दत्तात्रेय

10	झारखंड	रांची	हेमन्त सोरोन	रमेश बैस
11	कर्नाटक	बेंगलुरु	बसवराज बोमई	वजुभाई वाला
12	केरल	तिरुवनंतपुरम	पिनारयी विजयन	आरिफ मोहम्मद खान
13	मध्य प्रदेश	भोपाल	शिवराज सिंह चौहान	मंगू भाई पटेल
14	महाराष्ट्र	मुंबई	एकनाथ सम्भाजी शिंदे	भगत सिंह कोश्यारी
15	मणिपुर	इम्फाल	एन. बिरेन सिंह	पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य
16	मेघालय	शिलोंग	कॉनराड कोंगकल संगमा	तथागत रॉय
17	मिज़ोरम	आइज़ोल	पू जोरामथांगा	पी.एस. श्रीधरन पिल्लई
18	नागालैंड	कोहिमा	नेफियू रियो	आर.एन.रवि
19	ओडिशा	भुवनेश्वर	नवीन पटनायक	गणेशी लाल
20	पंजाब	चण्डीगढ़	भगवंत मान	वी.पी. सिंह बदनोर
21	राजस्थान	जयपुर	अशोक गहलोत	कलराज मिश्रा
22	सिक्किम	गैंगटोक	पीएस गोलय	गंगा प्रसाद
23	तमिलनाडु	चेन्नई	एम.के स्टालिन	बनवारीलाल पुरोहित
24	तेलंगाना	हैदराबाद	के चंद्रशेखर राव	तमिलिसै सौंदरराजन
25	त्रिपुरा	अगरतला	माणिक साहा	रमेश बैस
26	उत्तरप्रदेश	लखनऊ	योगी आदित्य नाथ	आनंदीबेन पटेल
27	उत्तराखंड	देहरादून	पुष्कर सिंह धामी	गुरमीत सिंह
28	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	ममता बैनर्जी	एल. गणेशन

8 केंद्र शासित प्रदेशों की पूरी सूची:

क्र. सं.	केंद्र शासित प्रदेश	राजधानी	मुख्यमंत्री	उप-राज्यपाल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	पोर्ट ब्लेयर	NA	डी.के. जोशी
2	चंडीगढ़	चंडीगढ़	NA	वी.पी. सिंह बदनोर
3	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	दमन	NA	प्रफुल पटेल
4	दिल्ली	दिल्ली	अरविंद केजरीवाल	अनिल बैजल
5	लद्दाख	NA	NA	राधा कृष्ण माथुर
6	लक्षद्वीप	कवरत्ती	NA	फारूक खान
7	जम्मू और कश्मीर	NA	NA	मनोज सिन्हा
8	पुडुचेरी	पुडुचेरी	वी नारायणसामी	किरण बेदी

भारत के इतिहास में भारतीय उपमहाद्वीप पर विभिन्न जातीय समूहों ने शासन किया और इसे अलग-अलग प्रशासन-संबन्धी भागों में विभाजित किया। आधुनिक भारत के वर्तमान प्रशासनिक प्रभाग नए घटनाक्रम हैं, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान विकसित हुए। ब्रिटिश भारत में, वर्तमान भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश, साथ ही अफ़्गानिस्तान प्रांत और उससे जुड़े संरक्षित प्रांत, बाद में उपनिवेश बना, बर्मा (म्यांमार) आदि, सभी राज्य समाहित थे। इस अवधि के दौरान, भारत के क्षेत्रों में या तो ब्रिटिशों का शासन था या उन पर स्थानीय राजाओं का नियंत्रण था। १९४७ में स्वतन्त्रता के बाद इन विभागों को संरक्षित किया गया और पंजाब तथा बंगाल के प्रांतों को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित किया गया। नए राष्ट्र के लिए पहली चुनौती थी राजसी राज्यों का संघों में विलय।[12,13]

स्वतन्त्रता के बाद, हालांकि, भारत में अस्थिरता आ गई। कई प्रांत औपनिवेशिकरण के उद्देश्य से ब्रिटिशों द्वारा बनाए गए, पर इन पर भारतीय नागरिकों की या राजसी राज्यों की कोई इच्छा दिखाई नहीं दी। १९५६ में जातीय तनाव ने संसद का दरवाजा खटखटाया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर देश को जातीय और भाषाई आधार पर पुनर्निर्माण करने के लिए अधिनियम लाया गया।

ब्रिटिश भारत की प्रथम जनगणना १८७२ में हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता उपरांत प्रत्येक दस वर्षों के अंतराल पर जनगणना होती है। यह १९५१ से आरंभ हुआ था।यह जनगणना महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा आयोजित होता है। यह कार्यालय भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आता है और इस संघीय सरकार द्वारा आयोजित एक वृहत कार्य है.अंतिम जनसंख्या आंकड़े २००१ की भारतीय जनगणना के जनगणना आंकड़ों के अनुसार है।

भारत का कुल भूगोलीय क्षेत्रफ़ल 32,87,240 square kilometers (12,69,210.5 sq mi)α है। जनसंख्या घनत्व निकटतम पूर्णांक तक राउंडेड ऑफ है।२००१ के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है: 1,028,737,436. (इस संख्या में अतिरिक्त १२७,१०८ माओ मारम, पाओमाटा और पुरुल उपभाग, सेनापति जिला, मणिपुर के भी जोड़ें)[14,15]

परिणाम

भारत में जिस प्रकार पूर्व में फ़्रांसीसी और पुर्तगाली उपनिवेशों को गणराज्य में समाहित किया गया था, वैसे ही १९६२ में पांडिचेरी, दादरा, नगर हवेली, गोआ, दमन और दियू को संघ राज्य बनाया गया।

१९५६ के बाद कई नए राज्यों और संघ राज्यों को बनाया गया। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा १ मई, १९६० को भाषाई आधार पर बंबई राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र के रूप में अलग किया गया। १९६६ के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम ने भाषाई और धार्मिक पैमाने पर पंजाब (भारत) को हरियाणा के नए हिन्दू बहुल और हिन्दी भाषी राज्यों में बाँटा और पंजाब के उत्तरी जिलों को हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया गया और एक जिले को चण्डीगढ़ का नाम दिया जो पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी है। नागालैण्ड १९६२ में, मेघालय और हिमाचल [16,17]प्रदेश १९७१ में, त्रिपुरा और मणिपुर १९७२ में राज्य बनाए गए। १९७२ में अरुणाचल प्रदेश को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। सिक्किम राज्य १९७५ में एक राज्य के रूप में भारतीय संघ में सम्मिलित हो गया। १९८६ में मिज़ोरम और १९८७ में गोआ और अरुणाचल प्रदेश राज्य बने जबकि गोवा के उत्तरी भाग दमन और दीयु एक अलग संघ राज्य बन गए। २००० में तीन नए राज्य बनाए गए। पूर्वी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ (१ नवंबर, २०००) में और उत्तरांचल (९ नवंबर, २०००) बनाए गए जो अब उत्तराखण्ड है। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के कारण झारखण्ड (१५ नवंबर २०००) को बिहार के दक्षिणी जिलों में से पृथक कर बनाया गया। दो केन्द्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पाण्डिचेरी (जो बाद में पुदुचेरी कहा गया) को विधानसभा सदस्यों का अधिकार दिया गया और अब वे छोटे राज्यों के रूप में गिने जाते हैं।

भारत के उपभाग										
श्रेणी	राज्य या संघ शा.प्रदेश	जनसंख्या	%[8]	ग्रामीण संख्या[9]	शहरी संख्या[9]	क्षेत्रफ़ल कि.मी.²[10]	घनत्व (प्रति km²)	क्षेत्रफ़ल मील²	घनत्व (प्रति मील²)	लिंग अनुपात
1	उत्तर प्रदेश	166,197,921	16.16%	131,658,339	34,539,582	240,928	690	93,022.8	1,787	898
2	महाराष्ट्र	96,878,627	9.42%	55,777,647	41,100,980	307,713	315	118,808.7	815	922
3	बिहार	82,998,509	8.07%	74,316,709	8,681,800	94,163	881	36,356.5	2,283	919
4	पश्चिम बंगाल	80,176,197	7.79%	57,748,946	22,427,251	88,752	903	34,267.3	2,340	934
5	तेलंगाना	76,210,007	7.41%	55,401,067	20,808,940	275,045	277	106,195.5	718	978
6	तमिल नाडु	62,405,679	6.07%	34,921,681	27,483,998	130,058	480	50,215.7	1,243	987
7	मध्य प्रदेश	60,348,023	5.87%	44,380,878	15,967,145	308,245	196	119,014.1	507	919
8	राजस्थान	56,507,188	5.49%	43,292,813	13,214,375	342,239	165	132,139.2	428	921
9	कर्नाटक	52,850,562	5.14%	34,889,033	17,961,529	191,791	276	74,050.9	714	965
10	गुजरात	50,671,017	4.93%	31,740,767	18,930,250	196,024	258	75,685.3	669	920
11	ओडिशा	36,804,660	3.58%	31,287,422	5,517,238	155,707	236	60,118.8	612	972
12	केरल	31,841,374	3.10%	23,574,449	8,266,925	38,863	819	15,005.1	2,122	1,058
13	झारखण्ड	26,945,829	2.62%	20,952,088	5,993,741	79,714	338	30,777.7	875	941
14	असम	26,655,528	2.59%	23,216,288	3,439,240	78,438	340	30,285.1	880	935
15	पंजाब	24,358,999	2.37%	16,096,488	8,262,511	50,362	484	19,444.9	1,253	876
16	हरियाणा	21,144,564	2.06%	15,029,260	6,115,304	44,212	478	17,070.3	1,239	861
17	छत्तीसगढ़	20,833,803	2.03%	16,648,056	4,185,747	135,191	154	52,197.5	399	989
UT1	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	13,850,507	1.35%	944,727	12,905,780	1,483	9,340	572.6	24,189	821
18	जम्मू और कश्मीर	10,143,700	0.99%	7,627,062	2,516,638	222,236	46	85,805.8	118	892
19	उत्तराखण्ड	8,489,349	0.83%	6,310,275	2,179,074	53,483	159	20,649.9	411	962
20	हिमाचल प्रदेश	6,077,900	0.59%	5,482,319	595,581	55,673	109	21,495.5	283	968
21	त्रिपुरा	3,199,203	0.31%	2,653,453	545,750	10,486	305	4,048.7	790	948
22	मेघालय	2,318,822	0.23%	1,864,711	454,111	22,429	103	8,659.9	268	972
23	मणिपुर[β]	2,166,788	0.21%	1,590,820	575,968	22,327	97	8,620.5	251	974
24	नागालैण्ड	1,990,036	0.19%	1,647,249	342,787	16,579	120	6,401.2	311	900
25	गोवा	1,347,668	0.13%	677,091	670,577	3,702	364	1,429.4	943	961
26	अरुणाचल प्रदेश	1,097,968	0.11%	870,087	227,881	83,743	13	32,333.4	34	893
UT2	पुदुचेरी	974,345	0.09%	325,726	648,619	479	2,034	184.9	5,268	1,001

UT3	चण्डीगढ़	900,635	0.09%	92,120	808,515	114	7,900	44.0	20,462	777
27	मिज़ोरम	888,573	0.09%	447,567	441,006	21,081	42	8,139.4	109	935
28	सिक्किम	540,851	0.05%	480,981	59,870	7,096	76	2,739.8	197	875
UT4	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	356,152	0.03%	239,954	116,198	8,249	43	3,185.0	112	846
UT5	दादरा और नगर हवेली	220,490	0.02%	170,027	50,463	491	449	189.6	1,163	812
UT6	दमन और दीव	158,204	0.02%	100,856	57,348	112	1,413	43.2	3,658	710
UT7	लक्षद्वीप	60,650	0.01%	33,683	26,967	32	1,895	12.4	4,909	948
Total	India	1,028,610,328	100.00%	742,490,639	286,119,689	3,287,240	313	1,269,210.5	810	933

निष्कर्ष

राज्यों का एक संघ, भारत एक प्रभुसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरेपक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें संसदीय प्रणाली की सरकार है। राष्ट्रपति इस संघ की कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख है। राज्यों में सरकार की प्रणाली केन्द्र की प्रणाली से बिल्कुल मेल खाती है। देश में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। भारत के बड़े से लेकर छोटे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की जनसांख्यिकीय, इतिहास और संस्कृति, वेश-भूषा, त्यौहार, भाषा आदि विचित्र है। यह खण्ड आपको देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों से परिचित कराता है और आपको उनकी शानदार विचित्रताओं को जानने के लिए प्रेरित करता है।[18,19]

भारत एक अनोखा राष्ट्र है, जिसका निर्माण विविध भाषा, संस्कृति, धर्म के तानो बानो, अहिंसा और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित स्वतंत्रता संग्राम तथा सांस्कृतिक विकास के समृद्ध इतिहास द्वारा एकता के सूत्र में बाँध कर हुआ हैं| एक साझा इतिहास के बीच आपसी समझ की भावना ने विविधता में एक विशेष एकता को सक्षम किया है, जो राष्ट्रवाद की एक लौ के रूप में सामने आती है जिसे भविष्य में पोषित और अभिलषित करने की आवश्यकता है।

समय और तकनीक ने संपर्क और संचार के मामले में दूरियों को कम कर दिया है। ऐसे युग में जो गतिशीलता और आगे बढने की सुविधा प्रदान करता है, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान के सामान्य दृष्टि कोण के द्वारा आपसी रिश्तो में मजबूती करना और राष्ट्र-निर्माण महत्वपूर्ण है। आपसी समझ और विश्वास भारत की ताकत की नींव है और भारत के सभी नागरिकों को सांस्कृतिक रूप से एकीकृत महसूस करना चाहिए।[20]

31 अक्टूबर, 2015 को आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने की कल्पना की गई थी जिसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के संप्रदायों के बीच एक निरंतर और संरचित सांस्कृतिक संबंध बनाये जा सके। माननीय प्रधानमंत्री ने यह प्रतिपादित किया कि सांस्कृतिक विविधता एक खुशी है जिसे विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लोगों के बीच पारस्परिक संपर्क और पारस्परिकता के माध्यम से मनाया जाना चाहिए ताकि देश भर में समझ की एक सामान्य भावना प्रतिध्वनित हो। देश के प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश का एक वर्ष के लिए किसी अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के साथ जोड़ा बनाया जाएगा, इस दौरान वे भाषा, साहित्य, भोजन, त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पर्यटन आदि क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ जुडेगे| भागीदार राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश आपस में एक दूसरे को सास्कृतिक रूप से अंगीकृत करेंगे।

भारत में सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को एक पूरे वर्ष के लिए जोड़ो में निर्धारित किया गया हैं ।जोड़े गए राज्य / केंद्र शासित प्रदेश एक दूसरे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे, जो विभिन्न गतिविधियों को पूरे वर्ष भर करेंगे। प्रत्येक जोड़े के लिए एक गतिविधि कैलेंडर आपसी परामर्श के माध्यम से तैयार किया जाएगा, जिससे आपसी जुड़ाव की एक साल की लंबी प्रक्रिया का मार्गप्रशस्त होगा। सांस्कृतिक स्तर पर राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जोड़े की आबादी के विभिन्न क्षेत्रों के बीच इस तरह की बातचीत, लोगों के बीच समझ और प्रशंसा की भावना पैदा करेगी और आपसी संबंध बनाएगी, जिससे राष्ट्र एकता की भावना में समृधि हासिल होगी।[21]

संदर्भ

[1] "States and union territories" (HTML). मूल से 27 जनवरी 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2007-09-07.

[2] "List of states with Population, Sex Ratio and Literacy Census 2011". मूल से 14 फ़रवरी 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 जुलाई 2017.

[3] "Report of the Commissioner for linguistic minorities: 50th report (July 2012 to June 2013)" (PDF). Commissioner for Linguistic Minorities, Ministry of Minority Affairs, Government of India. मूल (PDF) से 8 जुलाई 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 जुलाई 2017.

[4] After 2200 Years, Amaravati Gets Back Power!". Gulte. 7 मार्च 2017. मूल से 2 मार्च 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 मार्च 2019.

[5] "संग्रहीत प्रति". मूल से 3 अगस्त 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 23 दिसंबर 2014.

[6] "Sanskrit: Reviving the language in today's India – Livemint". मूल से 18 जून 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 जुलाई 2017.

[7] "Telangana State Profile" (PDF). Telangana government portal. पृ॰ 34. मूल से 14 फ़रवरी 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 11 June 2014.

[8] "Urdu Gets First Language Status". मूल से 22 अक्तूबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 जुलाई 2017.

[9] "Official Language Act 2000" (PDF). Government of Delhi. 2 July 2003. मूल (PDF) से 4 मार्च 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 17 July 2015.

[10] "Haryana grants second language status to Punjabi". Hindustan Times. 28 January 2010. मूल से 3 सितंबर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 जुलाई 2017.

[11] "Punjabi gets second language status in Haryana". Zee news. 28 January 2010. मूल से 12 जुलाई 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 जुलाई 2017.

[12] "States and union territories". Government of India (2001). Census of India. अभिगमन तिथि 2007-09-07.

[13] "Area and Population". Government of India (2001). Census of India. अभिगमन तिथि 2008-10-26.

[14] "India - General Profile, Land Use Classification and Land Use Pattern" (PDF). राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (NIC). Ministry of Environment & Forests (MoEF). अभिगमन तिथि 2008-12-12.

[15] "Census Organisation of India". Government of India (2001). Census of India. अभिगमन तिथि 2008-12-04.

[16] "Brief history of census". Government of India (2001). Census of India. अभिगमन तिथि 2008-10-26.

[17] "National Summary Data Page". Government of India (2001). Census of India. अभिगमन तिथि 2008-12-04.

[18] "India at a glance: Population". Government of India (2001). Census of India. अभिगमन तिथि 2009-04-17.

[19] "Ranking of States and Union territories by population size: 1991 and 2001" (PDF). Government of India (2001). Census of India. पपृ॰ 5–6. अभिगमन तिथि 2008-12-12.

[20] "Population". Government of India (2001). Census of India. अभिगमन तिथि 2008-10-26.

[21] "Area of India/state/district". Government of India (2001). Census of India. अभिगमन तिथि 2008-10-27.